estimated cost of Rs. 9.75 crores and is targetted to be completed by December, 1999 along with the work in Rajasthan sector. Also a proposal for fencing/flood lighting of 310 Kms of the border is under consideration of the Government and will be taken up after completion of the work in Rajasthan sector. The work will executed by the CPWD.

(II) *INDO-BANGLADESH BORDER:*

In February, 1986, Govt. of India had approved a proposal for providing 337 Kms of fencing along Indo-Bangladesh border (202 Kms in Assam and 135 Kms in Meghalaya). The proposal was revised in 1992 and fencing of 896 Kms of border (158 Kms in Assam, 231 Kms in Meghalaya and 507 Kms in West Bengal) was sanctioned for completion upto March, 1998. The revised proposal included construction of roads as well as bridges also. The total project cost was Rs. 1012.71 crores and the sector-wise position is as under:—

(a) *Assam Sector:*

The fencing on this sector was sanctioned in various phases from 1989—1995 and Assam PWD has erected fencing on 132 Kms of border. Fencing on 20 Kms of border is under execution in last two stretches near Tripura border.

(b) *Meghalaya:*

The fencing in this sector was sanctioned in different phases from 1991 to 1996 and Border Roads Organsiation has already completed fencing on entire about 200 Kms. border.

(c) *West Bengal:*

In the West Bengal sector, fencing was sanctioned in 1993-94 and nearly 445 Kms of border has been fenced by CPWD. The work on remaining 62 Kms of border is likely to be completed by March, 2001.

The reasons for slow pace of work on Indo-Bangladesh border are due to slow progress of land acquisition in West Bengal, objections from local people in Meghalaya, remoteness and difficult working conditions and disturbed conditions including insurgency in the North Eastern States.

छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण

55. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में एक पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बनाने हेतु आधिकारिक घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सभी औपचारिकताएं पूरी हो गई है, ताकि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण तत्काल किया जा सके;

(ग) प्रस्तावित राज्य में शामिल किये जाने वाले जिलों के नाम क्या-क्या हैं तथा इस राज्य की राजधानी कहां स्थित होगी; और

(घ) क्या सरकार उक्त छत्तीसगढ़ राज्य का गठन नवंबर, 1998 से पहले कर देगी, ताकि इस प्रस्तावित राज्य की विधान सभा के चुनाव राज्य की विधान सभा के चुनावों के साथ ही कराये जा सकें?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (घ) नये, राज्य छत्तीसगढ़ का सृजन करना, सरकार द्वारा शासन के लिए स्वीकृत राष्ट्रीय कार्यसूची का एक भाग है। जैसा कि राष्ट्रपति द्वारा 25.3.1998 को संसद में दिए गए भाषण में निर्दिष्ट किया गया था, कि प्रस्तावित छत्तीसगढ़ राज्य, मध्य प्रदेश, में से बनाया जाएगा। इस संबंध में ब्यौरे तैयार किए जा रहे है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि किसी भी राज्य के क्षेत्र को अलग करके नया राज्य बनाने के बारे में कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना और जहां विधेयक में अंतर्विष्ट प्रस्थापना का प्रभाव राज्यों में से किसी के क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर पड़ता है वहां जब तक उस राज्य के विधान मंडल द्वारा उस पर अपने विचार, ऐसी अवधि के भीतर जो निर्देश में विनिर्दिष्ट की जाये या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो राष्ट्रपति द्वारा अनुज्ञात की जाये, प्रकट किए जाने के लिए वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्देशित नहीं कर दिया गया है और इस प्रकार विनिर्दिष्ट या अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो गई है, संसद के किसी सदन में पुरः स्थापित नहीं किया जाएगा। नए राज्य का सृजन करने से पहले विधेयक पर संसद द्वारा विचार किये जाने और इसे पारित करने की आवश्यकता है।

उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस अवस्था में इस बारे में सही-सही समय सीमा बताना सम्भव नहीं है कि छत्तीसगढ़ राज्य कब अस्तित्व में आएगा। तथापि शासन के लिए राष्ट्रीय कार्य सूची की इस मद को जल्दी कार्यान्वित करने के लिए हर सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं।

दिल्ली में अपराध

56. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में जनवरी से 15 मई, 1998 तक; विशेष रूप से अप्रैल से 15 मई, 1998 तक की अवधि के दौरान हुई हत्या, लूटमार और डकेती की घटनाओं की संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) लगातार ऐसी घटनाएं घटने के क्या कारण हैं तथा क्या सरकार ने इस संबंध में कोई उत्तरदायित्व निर्धारित किया है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अपराधियों तथा हत्यारों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) 1.1.1998 से 15.5.1998 और 1.4.1998 से 15.5.1998 तक की अवधि के दौरान दिल्ली में हत्या, लूटपाट और डकैती के सूचित किए गए मामले इस प्रकार है:—

	हत्या	लूटपाट	डकैती
1.1.98 से 15.5.98	233	229	13
1.4.98 से 15.5.98	88	86	02

(ख) गम्भीर अपराधों के मुख्य कारण है:— (i) राजधानी में चलायमान जनसंख्या में तीव्र वृद्धि (ii) राजधानी में हुए अपराधों में दिल्ली के बाहर के अपराधियों की संलिप्तता (iii) परिवार द्वारा निगरानी में लापरवाही और (iv) समाज में पारस्परिक क्रिया में हिंसा का बढ़ना।

(ग) राष्ट्रपति राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अपराधों की रोकथाम करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों में, पैदल गश्त के साथ-साथ मोटर साईकिल गश्त गहन करना, ज्ञात बदमाशों पर कड़ी निगरानी रखना और नौकरों के पूर्ववृत्त का सत्यापन करना इत्यादि शामिल है।

Amnesty International Charges of Human Rights Violation

57. DR. JAGANNATH MISHRA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the recently released annual report of the Amnesty International charging Government and Indian security forces of large-scale violation of Human Rights, for detention of thousands of persons without trial for long spells and perpetrating atrocities on undertrials and others in custody;

(b) if so, the details thereof; and

(c) Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) to (c) The Government is aware of the Amnesty International Report 1997 which pertains to several countries throughout the world. The Chapter on India in the said report contains sweeping allegations stating that thousands of the political prisoners were held without charge or trial and that torture and ill treatment of detainees in India was routine resulting in deaths of hundreds of these detenues in police and military custody. Amnesty International has been making such wild and unfounded allegations of a sweeping and generalised nature in their previous reports as well, which has all along been firmly denied by the Government. Detailed response rebutting the general allegations made in the current Annual Report alongwith factual details in respect of some of the specific incidents mentioned therein is being made available to the High Commission of India, London for transmission to Amnesty International as well as for appropriate use in countering false propaganda.

Cases of Suicides

58. SHRI S.M. KRISHNA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state the suicide deaths during the last one year, state-wise; together with the reasons therefor?